रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102025-266869
CG-DL-E-11102025-266869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
No. 669] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2025

फा. सं. एस एस डीवी- पी एफ 0 एस पी 20 (16)/2/2025-स्टैण्डर्ड – एफएफएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का मसौदा इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में, -

(1) सामान्य आवश्यकताओं से संबंधित विनियम (3) में, उप-विनियम (14) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"(15) खाद्य संपर्क सामग्री के निर्माण में पॉली- और परफ्लुओरोएल्काइल पदार्थों (पीएफए) का उपयोग न किया जाए।

(16) पॉलीकार्बोनेट और एपॉक्सी रेजिन से निर्मित खाद्य संपर्क सामग्री में बिस्फेनॉल ए (बीपीए) और उसके व्युत्पन्न नहीं होने चाहिए" ।

राजित पुनहनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./403/2025-26]

टिप्पण.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-95/स्टैंडर्ड्स/पैकेजिंग/एसपी(एलएंडसी/ए)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-20/टी(रीसाइकल्डप्लास्टिक- एन दिनांक 28 मार्च 2025 के माध्यम से किया गया था ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2025

F. No. SSDIVI-PF0SP20(16)/2/2025-Standard-FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or may be sent by email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

DRAFT REGULATIONS

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2025.
2. In the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, -

(1) in regulation (3) relating to General requirements, after sub regulation (14), following shall be inserted, namely;

"(15) Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAs) shall not be used in manufacturing of food contact materials.

(16) Food contact materials manufactured with polycarbonate and epoxy resins shall be free from Bisphenol A (BPA) and its derivatives."

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./403/2025-26]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018 and last amended *vide* notification number F.No. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N) dated the 28th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA